



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2012  
(SRAVANA 17, 1934 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 8th August, 2012

**No. 17—HLA of 2012/46.**—The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly : —

**Bill No. 17—HLA of 2012**

**THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY  
(SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)  
AMENDMENT BILL, 2012**

**A**

**BILL**

*further to amend the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2012. Short title

**Price : Rs. 5.00**

(2585)

Amendment of  
section 7 of  
Haryana Act 2  
of 1975

2. In the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), in section 7, —

- (I) in sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1), after the words “deluxe coach”, the words “and air-conditioned coach” shall be added;
- (II) in sub-clause (ii) of clause (b), for the sign “:” existing at the end, the sign “.” shall be substituted; and
- (III) proviso to clause (b) of sub-section (1) shall be omitted.

Amendment of  
section 7C of  
Haryana Act 2  
of 1975

3. In the principal Act, in section 7C, —

- (i) in clause (a), after the words “deluxe coach”, the words “and air-conditioned coach” shall be added;
- (ii) in clause (b), for the sign “:” existing at the end, the sign “.” shall be substituted; and
- (iii) proviso to clause (b) of sub-section (1) shall be omitted.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Members of Legislative Assembly and ex-Members are entitled to travel free in any public service vehicle of Haryana State Transport Undertaking including deluxe coach and if they travel in air-conditioned coach they have to pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe coach. Now the State Government has also added numerous air-conditioned coaches. Keeping in view the status of Members of Legislative Assembly and ex-Members, the Government has decided to provide them the facility to travel in air-conditioned coaches by making an amendment in sub clause (i) and (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 7 and clause (a) and (b) of section 7C of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

**RANDEEP SINGH SURJEWALA,**  
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

---

Chandigarh :  
The 8th August, 2012.

**SUMIT KUMAR,**  
Secretary.

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

2012 का विधेयक संख्या 17-एच० एल० ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2012

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन)  
अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

संशोधन नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा  
अधिनियम 2 की  
धारा 7 का  
संशोधन।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 7 में,—

- (I) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में, "डिलक्स वाहन" शब्दों के स्थान पर, "डिलक्स कोच तथा वातानुकूलित कोच" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (II) खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में, अन्त में विद्यमान "." चिह्न के स्थान पर, "।" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
- (III) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ;

1975 के हरियाणा  
अधिनियम 2 की  
धारा 7 ग का  
संशोधन।

3. मूल अधिनियम में, धारा 7 ग में,—

- (i) खण्ड (क) में, "(डिलक्स कोच)" कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, "डिलक्स कोच तथा वातानुकूलित कोच" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) खण्ड (ख) में अन्त में विद्यमान "." चिह्न के स्थान पर, "।" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
- (iii) खण्ड (ख) के परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा के सदस्य और भूतपूर्व सदस्य हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक वाहनों, जिसमें डिलक्स बसें भी शामिल हैं, में निःशुल्क यात्रा के पात्र हैं और यदि वह वातानुकूलित बसों में यात्रा करते हैं, तो उन्हें उस वाहन व डिलक्स वाहन के किराए के अन्तर की अदायगी करनी होती है। अब राज्य सरकार ने काफी वातानुकूलित बसें शामिल कर ली हैं। विधान सभा सदस्यों की हैसियत के मद्देनजर राज्य सरकार ने विधान सभा सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को वातानुकूलित वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) व (ii) और धारा 7 ग के खण्ड (क) व (ख) में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,  
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
8 अगस्त, 2012

सुमित कुमार,  
सचिव।